

फर्द अहकाम

सोहन सिंह वगै०

बनाम

नाथूसिंह वगै०

यायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर
केस सं० / 2025

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30.04.2025	<p>अधिवक्ता श्री अताउल्लाह खां द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्टें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">DSG उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>	
	21.5-25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राचीगठ एवं प्रार्थी सं. 4 स्वयं उपस्थित। प्रकरण के संबंधित मूल वाद 'Not Pross' के आधार पर खारिज किया जा चुका है। स्वसिद्ध प्रार्थना पत्र खलजिते धारा 212 R.T.A. भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी नंबर से कम होकर नखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">DSG उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>	<p>राजीनामा होने का Not Pross Sehulish Jalantilok Khalid 21/5/25</p>